एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंज़िल, इरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, 110019 | फ़ोन: 91-11-43115600 | फ़ैक्स: 91-11-43115618
कॉर्पोरेट कार्यालय: 101, कल्पतरु इन्फिनिया, प्लॉट नंबर बी, ग्रेड हयात के पास, सांताक्रूज़ (पूर्व) मुंबई - 400055
फ़ोन: 022 68643101 ई-मेल : acre.arc@acreindia.in | वेबसाइट : www.acreindia.in | CIN : U65993DL2002PLC115769

परिशिष्ट IV-A अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को **15 दिन** की सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई अचल संपत्तियां, जिन्हें **'एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड'** (CIN: U65993DL2002PLC115769) ("सिक्योर्ड क्रेडिटर") के पास बंधक/चार्ज किया गया था और जिनका भौतिक कब्ज़ा सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उन्हें **"जैसा है, जहाँ है" "जैसा है, वैसा है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री नीचे बताए गए उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों से सिक्योर्ड क्रेडिटर की बकाया राशि की वसूली के लिए की जाएगी, साथ ही प्रत्येक संपत्ति के लिए नीचे बताई गई आरक्षित कीमत और बयाना राशि भी लागू होगी। सिक्योर्ड एसेट्स (सुरक्षित संपत्तियों) का विवरण

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या / ACRE ट्रस्ट का नाम	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता/ गारंटर का नाम	कुल बकाया राशि INR में	रिज़र्व प्राइस (रु. में)	अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (रु. में)	नीलामी की तारीख और समय	बैंक खाते की जानकारी EMD पेमेंट के लिए	Barcode-scan to View PDF
1	611439511580569/ ACRE-178-TRUST	आशु कुमार और मोनिका कपूर	31.10.2025 तक 34,61,282/- रुपये (चौंतीस लाख इकसठ हज़ार दो सौ बयासी रुपये मात्र) + आगे का ब्याज + अन्य शुल्क	₹20,50,000/- रुपये (बीस लाख पचास हज़ार रुपये मात्र)	₹2,05,000/- रुपये (दो लाख पाँच हज़ार रुपये मात्र)	8 दिसंबर 2026 को दोपहर 02:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक	लाभार्थी का नाम:ACRE-178-Trust, बैंक का नाम: IDBI BANK LTD, बैंक खाता संख्या: 0901102000042617, IFSC कोड: IBKL0000901	

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: गैर-कृषि संपत्ति, मकान नंबर R-47 (प्रॉपर्टी ID नंबर 1GNRSM25, पुरानी ID: PO3702440307), जिसका क्षेत्रफल 115 वर्ग गज है। यह संपत्ति वार्ड नंबर 6, ओल्ड सिटी, पानीपत (तहसील और ज़िला पानीपत) में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व की ओर - दक्षिण से उत्तर 21'-9", पूर्व की तरफ़ 12'-0" और उत्तर की तरफ़ 19'-7" + 13'-5" (मकान नंबर R-44, 45, 46); पश्चिम की ओर - 54'-5" (मकान नंबर 4-48); उत्तर की ओर - 25'-9" (जीत और किल्ला का मकान); दक्षिण की ओर - 10'-9" (सड़क)।

ऊपर बताए गए लोन अकाउंट (और उनसे जुड़े सभी अधिकार, मालिकाना हक़, ब्याज, सिक्योरिटी, गिरवी रखी गई चीज़ें और/या गारंटी, जिसमें ऊपर बताई गई अचल संपत्तियां भी शामिल हैं) को 'एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड' को सौंप दिया गया था। यह कंपनी ऊपर दिए गए कॉलम में साफ़ तौर पर बताए गए अलग-अलग ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही है।

नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

1	EMD का भुगतान डिमांड ड्राफ़्ट/RTGS/NEFT के ज़रिए संबंधित कॉलम में बताए गए बैंक खातों के पक्ष में किया जाएगा।	
2	EMD जमा करने की अंतिम तिथि	**नीलामी की तारीख से एक कामकाजी दिन पहले और शाम 06:00 बजे तक या उससे पहले।**
3	बोली जमा करने का स्थान	14वीं मंज़िल, इरोज़ कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
4	नीलामी के लिए वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर	https://www.bankeauctions.com/ and +91-99481-82222
5	सम्पर्क करने का विवरण	टोल-फ्री नंबर: 1800-209-2989 ईमेल: auction.support@acreindia.in
6	संपत्ति के निरीक्षण की तारीख और समय	पहले से तय अपॉइंटमेंट के अनुसार
7	बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट www.acreindia.in या https://www.bankeauctions.com/ पर जाएँ।	

दिनांक: 19.11.2026, स्थान: पानीपत (हरियाणा) — हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

कार्यालय वसूली अधिकारी–।। ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिलली–110001

आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत

R.C. No. 290/2022 — बिक्री उद्घोषणा

पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुश भारद्वाज

बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के अन्तर्गत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी#1 श्री कुश भारद्वाज पुत्र श्री विजय भारद्वाज, पी–15/बी1, दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली। **अन्य पता:** फ्लैट नंबर जी–2, प्लॉट नंबर सी1/91, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।।, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

जबकि, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–।। द्वारा जारी अंतरण वसूली प्रमाणपत्र संख्या **290/2022 दिनांकित 09.09.2022** के अनुसार, **रु. 24,95,527.27 (चौबीस लाख पचानवे हजार पाँच सौ सत्ताइस रुपये और सत्ताइस पैसे मात्र),** की राशि के संबंध में प्रमाणित देनदार (सीडी) उक्त राशि का भुगतान, वसूली होने तक उस पर भविष्य का ब्याज **@9%** प्रतिवर्ष तथा व्यय सहित, संयुक्त रूप से और/अथवा पृथक–पृथक रूप से करने के लिए उत्तरदायी हैं।

2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट होकर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन संबंधी किसी आदेश के अभाव में उक्त संपत्ति का विक्रय ई–नीलामी द्वारा BAANKNET **ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसका संचालन पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट: https://baanknet.com ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com संपर्क व्यक्ति: श्री कश्यप पटेल, मोबाइल नंबर: 9327493060, सहायता संपर्क नंबर 918291220220, जिसका पता: मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 1, तृतीय तल, वायोस कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के निकट, वडाला (पूर्व), मुंबई–400034 द्वारा ई–नीलामी दिनांक 18.12.2026 को प्रातः 11.00 बजे से प्रातः 12.00 बजे तक आयोजित की जाएगी (यदि समापन से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होती है, तो आवश्यकतानुसार स्वतः समय–वृद्धि का प्रावधान लागू होगा) । किया जाएगा।** इच्छुक बोलीदाताओं को BAANKNET पोर्टल पर पर्याप्त पूर्व में पंजीकरण कराना होगा, डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी तथा उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
4. जमा बयाना राशि (ईएमडी) BAANKNET पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक **16.12.2026** को सायं **04:00** बजे तक किया जाएगा। BAANKNET पोर्टल, सीएच बैंक के समन्वय से, सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूची आवश्यक विवरण सहित आवश्यक अनुमोदन हेतु वसूली अधिकारी को दिनांक **17.12.2026** को प्रातः **10:00** बजे तक अग्रेषित करेगा। नीलामी के संचालन से संबंधित सभी मामलों में, आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधान और वसूली अधिकारी के निर्देश BAANKNET पोर्टल के नियमों और शर्तों पर प्रभावी होंगे। पंजीकरण, उपयोगकर्ता आईडी और बोली प्रक्रियाओं से संबंधित परिचालन विवरण के लिए, इच्छुक बोलीदाता BAANKNET पोर्टल से परामर्श कर सकते हैं या यहां उल्लिखित हेल्पलाइन नंबरों पर पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
5. संपत्ति के किसी भी प्रश्न और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता **सुश्री लकी पूनिया, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल नंबर 8947958129 ई–मेल bo076710@pnb.bank.in** से संपर्क कर सकते हैं
6. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की संपत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार संपत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावों को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
7. संपत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि संपत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।
8. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा।
9. आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

9.1 बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटि, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

9.2 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी और जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	जी–2, प्लॉट नंबर सी–1/91, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।।, भोपुरा, साहिबाबाद गाजियाबाद।	₹ 17,55,000/-	₹ 1,75,500/-

9.3 इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने आरक्षित मूल्य से कम नहीं की बोली प्रस्तुत की हो तथा पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण आदि दस्तावेजों सहित अपनी बोली दिनांक **16.12.2026 को अपराह्न 04:00** बजे तक वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी हो, वे दिनांक **18.12.2026 को पूर्वा. 11:00 बजे से दोपहर 12:00** बजे तक आयोजित ई–नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि नीलामी की समाप्ति के समय के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

9.4 बोलीदाता अपना बोली रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ाएंगे।

9.5 सफल/उच्चतम बोलीदाता को BAANKNET पोर्टल पर पहले से जमा ईएमडी राशि का समायोजन करने के पश्चात, बोली/विक्रय राशि के 25% के बराबर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तैयार कराकर, वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली, खाता संख्या **आर.सी. नं. 290/2022** के पक्ष में, अगले बैंक कार्यदिवस अर्थात् निर्धारित समय सायं 04:00 बजे तक इस अधिकरण में जमा करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी।

9.6 सफल/उच्चतम बोलीदाता संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन तक (उक्त दिन को छोड़कर) या यदि 15वाँ दिन रविवार अथवा अन्य कोई अवकाश हो, तो उसके बाद के प्रथम कार्यालय दिवस को, बिक्री राशि की शेष 75% राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर के माध्यम से, वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली, खाता संख्या **आर.सी. नं. 290/2022** के पक्ष में देय, चूसली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली के समक्ष जमा करेगा। इसके साथ ही, रु.1,000 तक की राशि पर 2% तथा रु.1,000 से अधिक की सकल राशि के अतिरिक्त भाग पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा। यदि शेष 75% राशि डाक के माध्यम से जमा की जाती है, तो उक्त राशि उपर्युक्त रिकवरी ऑफिसर के पास निर्धारित समय–सीमा के भीतर पहुँच जानी चाहिए।

9.7 उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्च समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।

8. संपत्ति "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी" के आधार पर बेची जा रही है।
9. यदि कोई बोली या सभी बोलियाँ अस्वीकार्य पाई जाती हैं तो वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रारम्भित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सम्पत्ति का अनुसूची

लॉट सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आने आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1.	जी–2, प्लॉट नंबर सी–1/91, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन–।।, भोपुरा, साहिबाबाद गाजियाबाद।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं इस मुहर के तहत **04.11.2026** को दिया गया। — हस्ता/– (वात्सल्य कुमार), वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।, दिल्ली

COURT NOTICE

PBLD03-040407-2024
Criminal Courts, Ludhiana
In the Court of Ms. Ritika Gupta
Judicial Magistrate - Ist Class Ludhiana
Next Date, Purpose of case, Orders and Judgments as well as other case information is available on http://ecourts.gov.in
Proclamation Requiring the Appearance of a Person Accused
Case No.:- COMA/39857/2024
BAJAJ FINANCE LIMITED
Vs
M/s UNKAL HAYCHERY
Police Station/Fir No. Division 5/0
Next Date : 30-11-2026
138 of Negotiable Instruments Act
Detail of offence:-

Notice To : M/s Unkal Haychery Through Its Proprietor/Partner/Manager/Director/Agent/Co-Applicant/Authorised Signatory/ Mr. Mohd Gupharan R/o Rasolabad Housepatti, Meerampur Akbarpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh 224122

Whereas complaint/case has been made before me that M/s Unkal Haychery:- R/o Through Its Proprietor/Partner/Manager/Director/Agent/Co-Applicant/Authorised Signatory/ Mr. Mohd Gupharan R/o Rasolabad Housepatti, Meerampur Akbarpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh 224122 has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section 138 of Negotiable Instruments Act and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said M/s Unkal Haychery cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said M/s Unkal Haychery has absconded (or is concealing himself/herself to avoid the service of the said warrant); Proclamation is hereby made that the said M/s Unkal Haychery is required to appear before this Court (or before me) on 30-11-2026 to answer the said complaint/case.

Judicial Magistrate - Ist Class, Ludhiana
Dated, this day of 11-08-2026

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तरी क्षेत्र निदेशालय ॥
तीसरा फ्लोर, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नंबर 4–बी,
सैक्टर–27बी, चंडीगढ़, पिन–160019"
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
के मामले में

रेटिसन18 टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U62099HR2024PTC119485)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 9, 4 बी, सेक्टर–31, सेक्टर–32, न्यू कॉलोनी, गुडगांव, हरियाणा–122001, इंडिया में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक प्रारुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय ॥ को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर तीसरा फ्लोर, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नंबर 4–बी, सेक्टर–27बी, चंडीगढ़, पिन–160019" के पते पर भेज सकता है, या पंजीकृत डाक द्वारा भिजवा सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेज सकता है।

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 9, 4 बी, सेक्टर–31, सेक्टर–32, न्यू कॉलोनी, गुडगांव, हरियाणा–122001, इंडिया
आवेदक की ओर से और से
रेटिसन18 टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
चंदन सिंह
निदेशक
डीन : 10050344

दिनांक : 18.11.2026
स्थान : गुडगांव
पता : 3बी/–712, टॉवर–3, रियर हाइट्स, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001

यूनियन बैंक Union Bank

क्षेत्रीय कार्यालय–उत्तरी दिल्ली, द्वितीय तल, फैज रोड–1, नई दिल्ली–110005
ई–मेल आईडी: cmcrldrodelhinorth@unionbankofindia.bank.in

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र **मेसर्स न्यू गोयल एंटरप्राइजेज** के खाता में सम्पत्ति बिक्री के लिए बिक्री सूचना दिनांकित **06.11.2026** के सन्दर्भ में है, जो दिनांक **10.11.2026** को इस समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। ऊपर दिए गए बिक्री सूचना में निम्नलिखित दी गई और विवरण शामिल की जाएगी: **(लिटिगेशन विवरण एसए नंबर 259/2026 डीआरटी1 दिल्ली के साथ)**। ओरिजिनल बिक्री सूचना के अन्य सभी नियम और शर्तें वैसी ही रहेंगी।

दिनांक: 18.11.2026, स्थान: दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: – केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई– 600031.
टेलीफोन: +91 44 4564 4000 | **फैक्स:** +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना।

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं तथा अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जिसका विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णन किया गया है तथा उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा तथा यह उनकी संबंधित तिथियों से संविदात्मक दर के अनुसार लिया जाएगा।

क्र. सं	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) के अनुसार नोटिस की तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	15235584 और 25581851	संपत्ति के बदले ऋण	06–नवम्बर–2026	10,05,794.16/–

उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं के नाम: 1.बिल्लू कुमार 2. राजबाला रतन सिंह

संपत्ति का पता : खसरा संख्या 874 मि., ग्रामः तिलपता करणवास, परगना एवं तहसीलः दादरी, जिलाः गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201306 में स्थित कुल 70 वर्ग गज अर्थात 58.52 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली संपत्ति/भूमि का संपूर्ण भाग एवं हिस्सा, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्वः भोला पुत्र श्री धन सिंह का मकान, पश्चिमः मुकेश पुत्र श्री जयपाल का मकान, उत्तरः 10 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः जगमल पुत्र श्री श्यामलाल का मकान

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 19.11.2026
स्थान : उत्तर प्रदेश — आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

इंडियन बैंक Indian Bank

शाखा : इंडियन बैंक, पटेल नगर शाखा, ब्लॉक एच2 पटेल नगर–03, गाजियाबाद – 201001
ईमेल :– INGRAHAMINSTITUTE.GHAZIABAD@indianbank.bank.in

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना, जो इंडियन बैंक, इंग्राम इंस्टीट्यूट शाखा के पास निम्नलिखित ऋण खाता/तों के संबंध में निम्नलिखित ऋणधारक/गारंटर/गिरवीकर्ता को निम्नलिखित तिथियों पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा भेजी गई।

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, खातों ने चुकौती की तिथि तक सहमत दर पर आगे के ब्याज/लागत के साथ नीचे उल्लिखित राशि की सीमा तक ऋणों की चुकौती में व्यतिक्रम किया है। बैंक ने निम्नलिखित तिथि को सरफेसी, 2002 अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी की, जिसमें आपको नीचे उल्लिखित बकाया राशि चुकाने के लिए कहा गया। सूचना आपको पंजीकृत डाक / कूरियर / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी / वापस आ गई है / तामील नहीं हुई है।

आपको इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर बैंक नीचे दी गई अनुसूची में दी गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विवश होगा।

यह सूचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार / उपाय के पूर्वाग्रह के बिना है।

क्र. सं.	ऋणधारकों / गारंटरों / गिरवीकर्ताओं के नाम	गिरवी रखी गई परिसंपत्ति – स्टॉक्स का दृष्टिबंधक	बकाया राशि
1.	**1. ऋणधारक :** मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज (स्वामित्वधारी फर्म) यूनिट का पता– गली नंबर 06 खसरा नंबर 875 सिहानी रोड गाजियाबाद–201001 मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज (स्वामित्वधारी फर्म) गली नंबर 07 गाजियाबाद–201001, मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज (स्वामित्वधारी फर्म) 422, स्ट्रीट नंबर 7, घुकना, गाजियाबाद 201001, 2. ऋणधारक : श्री अमित कुमार (स्वामी) 50, गली नंबर–1, सेवा नगर । मरियम नगर, गाजियाबाद पिनकोड–201001 श्री अमित कुमार (स्वामी) सी2 कृष्णा कुंज–।। नंदग्राम गाजियाबाद पिनकोड–201003 **नकद साख सीमा खाता 5048230909, इंडियन बैंक, इंग्राहम इंस्टीट्यूट शाखा, गाजियाबाद के पास मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज के नाम पर।**	**स्टॉक का विवरण – मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज** (अमित कुमार – स्वामी) के नाम पर 8, सिहानी रोड, ब्रहमपुरी, घिखना विहार, गाजियाबाद में स्टॉक का वह समस्त भाग तथा अंश।	रु. 21,31,001.16/– (रुपये इक्कीस लाख इकतीस हजार एक और सोलह पैसे मात्र) 29.10.2026 की तिथि के अनुसार तथा भुगतान की तिथि तक 30.10.2026 से ब्याज/लागत के साथ। अ–निष्पादनकारी परिसंपत्ति की तिथि : 16.07.2026 **मांग सूचना की तिथि : 02.11.2026**

तिथि : 02–11–2026, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank — 119 FOUNDATION YEAR LEADING WITH TRUST

दरियागंज शाखा
पता– 11 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 भारत
ई–मेल : DARYAG@bankofbaroda.co.in मोबाइल नं: 9414639238

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, परिशिष्ट–IV-A [नियम 8(6) और 9(1) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभू